रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 196] नई दिल्ली, सोमवार, मई 28, 1973/ज्यैष्ठ 7, 1895

No. 196] NEW DELHI, MONDAY, MAY 28, 1973/JYAISTHA 7, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF HEAVY INDUSTRY

New Delhi, the 28th May 1973

ORDER

S.O. 296(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (I), read with sub-section (2), of section 18 FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following amendment in the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development No. S.O. 381(E), dated the 29th May, 1972, namely:—

In paragraph 2 of the said Order, for the Words "one year", the Words "two years" shall be substituted.

[No. 1/53/71-P. S. Cell/HM(I II).]

S. M. GHOSH, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, तारीख 28 मई, 1973

आदेश

का० आ० 296 (अ).—उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 च ख की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 381 (ई), तारीख 29 मई, 1972 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :—

उक्त आदेश के पैरा 2 में, "एक वर्ष" शब्दों के स्थान पर "दो वर्ष" शब्द रखे जाएंगे ।

(सं० 1/53/71—पी एस सेल/एच०एम (II)

एस० एम० घोष,
संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973